राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

आदेश

एकल पीठ दाण्डिक प्रकीर्ण द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र
संख्या10285/2009
झाबरसिंह बनाम राजस्थान राज्य।

दिनांक:18/12/2009

माननीय न्यायाधिपति श्री महेशचन्द्र शर्मा

श्री माधव मित्र अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी उप0
श्रीबीरीसिंह अधिवक्ता वास्ते परिवादी उप0
श्री प्रदीप श्रीमाल लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य उप0

अभियुक्त-प्रार्थी द्वारा यह द्वितीय जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया है और इस पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक व परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा दौराने बहस प्रस्तुत दस्तावेज/केस डायरी का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी के विरुद्व आरोपित अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धरा 323, 341 एवं 308 के अन्तर्गत हैं। उनका कथन है कि धारा 323 एवं 341 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप जमानती प्रकृति के हैं। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी पर धारा 308 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप प्रथम दृष्टया नहीं बनता है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में है और एफ.आई.आर. व पुलिस द्वारा लेखबद्व किये गये बयानों में विरोधाभास है। उनका यह भी कथन है कि इस प्रकरण में परिवादी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। उनका यह भी कथन है कि दोनों पक्षों के खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है और

अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक एवं परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

उभय पक्ष की उक्त दलीलों को सुना जाकर, प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, मेरी राय में प्रार्थी को धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अत: आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी झाबरसिंह, पच्चीस हजार रुपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र और इसी राशि की एक सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूति विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर दे तो उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या289/2009 पुलिस थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर से संबंधित प्रकरण में इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे कि वह प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर उपिस्थत होता रहेगा।

(महेशचन्द्र शर्मा)
न्यायाधिपति

/राम/